प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 17/2025)

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा' पर भादूविप्रा की दिनांक 10.12.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 18 मार्च 2025 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा की **'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा' दिनांक 10.12.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैक-रेफरेंस का उत्तर** जारी किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत दिनांक 30.08.2022 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण द्वारा हितधारकों के विस्तृत परामर्श के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 10.12.2024 को दूरसंचार विभाग को 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा' पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान कीं।

3. इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने 13.02.2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िक की परिभाषा पर भादूविप्रा की 10.12.2024 की अनुशंसाएं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस के संबंध में भादूविप्रा से स्पष्टीकरण माँगा।

4. मामले की जांच के बाद भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपना जवाब अंतिम रूप दे दिया है। जवाब में भादूविप्रा की बैक-रेफरेंस पर प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
18/3/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा